न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गण्डावर, जिला–दौसा

मु.सं.– 30/25 (दावा)
पारा देवी बनाम गोरधनी वगैरह
विविध मुकदमा – वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरसहजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2025	यह वादपत्र वादिया की ओर से अभिभाषक श्री भुवनेश त्रिवेदी द्वारा बावत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.04.2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **गण्डावर (दौसा)**	
22.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक रसीद पेश नहीं की। डाक रसीद अभिधार्य रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गण्डावर (दौसा)	नोटिस प्राप्तार्थ अकोर्डिंग 22/4/25
16-5-25	पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश हो।	
20/6/25	पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 18-7-25 को पेश हो।	
8/7/25	प्रार्थीपारादेवी पत्नि कानूराम सैनी निवासी मण्डावर की ओर से जरिये अभिभाषक श्री भुवनेश त्रिवेदी द्वारा प्रार्थना बावत् पत्रावली तलब कर Not Pass कर विदड्रो करने पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थिया के प्रार्थना के अनुसार वादिया	Not Pass अकोर्डिंग त्रिवेदी मंजूर। 8/7/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज .....पारा देवी.....बनाम.....गोरधनी..... मु.नं.– 30/25 किस्म – 5मा।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पगायली में० कोई कार्यवाही नहीं० चाहती है एवं मामले को Not Press कर दिये फरमाने का निवेदन किया। पगायली तलब फरमाकर मामला खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील वादी। प्रार्थी ने पगायली पर Not Press दिया।

प्र.पत्र एवं पगायली का अवलोकन किया। वाद पत्र प्रारंभिक स्टेज पर है। वादिया वाद पत्र पगायली में० कोई कार्यवाही नहीं० चाहती है। वकील वादिया, प्रार्थी ने इस वाक्त पगायली पर Not Press दिया। प्रार्थी वकील द्वारा दिया गया Not Press को स्वीकार किया जाकर पगायली में० कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पगायली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)